Letter No.: NGT-80/81-7-2020-44(Writ)/2016 T.C.-2

From,

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change, Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest & Climate Change Section-7 **Lucknow : Dated : 04 /02/2020**

Sub : Compliance Report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 15-11-2019 in OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur Uttar Pradesh with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

Sir,

In compliance of order dated 15.11.2019 passed by Hon'ble Tribunal in OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur Uttar Pradesh with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the compliance report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Bharat Prasad)
Under Secretary.

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 15-11-2019 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

1. That undersigned has submitted the Compliance report of Order dated 27.09.2019 passed in OA No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh on 28.10.2019.

2. That it is submitted that in order to ensure compliance of the order of Hon'ble NGT dated 13.11.2019 uploaded on 15.11.2019 passed in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the undersigned reviewed the progress of the works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat on 29.11.2019. It was directed during meeting that Industrial Development Department, U.P. should immediately take suitable steps regarding mobilization of funds for implementation of DPR for remediation of Rania contaminated area which has been prepared by CPCB, Delhi.

3. That the CPCB sent the DPR related to this work of disposal of Chromium dump lying at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat vide letter dated 31.08.2018 to the State after the closure of NCEF scheme by Government of India. The DPR prepared by

CPCB has three components along with cost estimates as given below :-

Sl. No.	Components	Estimated Cost (Rs. Crore)	Remarks
1.	In-situ disposal of Chromium waste	102.09	Cost of land acquisition is not included
2.	In-situ disposal of contaminated soil	24.23	Cost of land acquisition is not included
3.	Remediation of Ground water by Pump and treat method upto 15 years	Capex 9.5 Opex 30/year Total- 459.5	Remediation may continue upto 15 years
	Grand Total	**585.82**	

That it is further submitted that the DPR does not include cost of land as 1.99 ha. part of total area of 3.69 ha dump site is private land. This may further escalate the cost of remediation of Chromium dump at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat and may further delay the implementation of the project. Copy of the letter dated 31.08.2018 issued by CPCB to the State of Uttar Pradesh is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**.

4. That undersigned has again reviewed the matter of disposal of Chromium Dump in Rania, Khanchandpur on 29.01.2020. That the Infrastructure and Industrial Development Department has sanctioned budget of Rs. 23.44 Crore for the year 2019-20 for

the disposal of Chromium waste in first phase. The fund of Rs. 23.44 Crore is being transferred to the Escrow Account operated by the District Magistrate Kanpur Dehat. It was also decided in the meeting that the proposal regarding in-situ disposal and capping of chromium contaminated waste and soil as prescribed in the DPR prepared by CPCB will require more time and fund. Therefore, shifting of waste to operational Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) has been found to be a cost effective option. It is further submitted that two Treatment Storage and Disposal Facilities are situated in the close vicinity (approximately 18 km) of the contaminated dump site. It was also decided in the meeting that illegally dumped Chromium Waste will be lifted and disposed as per the provisions of Hazardous and Other Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rule 2016 through Treatment Storage and Disposal Facilities after inviting open tenders. The formalities regarding inviting and finalizing of tenders and selection of operator are under progress. The disposal of contaminated soil and remediation of contaminated ground water should be taken up later in second phase after lifting of Chromium waste.

5. That in compliance to the order of Hon'ble Tribunal dated 15.11.2019, U.P. Pollution Control Board has prepared an Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, UP, after incorporating information/suggestions provided by the concerned departments. That this Action Plan has been sent to Central Pollution Control Board for approval on 31.01.2020, as per the directions of Hon'ble Tribunal.

6. That undersigned has directed in the meeting dated 29.11.2019 that the immediate supply of safe water through tankers shall be

ensured till proposed Piped Water Supply System gets completed. Medical department was directed to complete health study in affected areas within 01 month and give complete suggestions regarding improvement of health of habitants of affected areas. It was also directed that regular health checkup camps in the affected areas for the residents should be organized. Copy of the minutes of meeting dated 29.11.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2.**

7. That in compliance of direction given in the meeting of 29-11-2019, The Piped Water Supply of safe water has already been ensured in Rakhi Mandi, Kanpur Nagar. That supply of 25 kilo liter per day of safe water through 05 tankers is being ensured in the affected villages of Rania Khanchandpur, Kanpur Dehat as per information provided by District Magistrate, Kanpur Dehat vide letter dated 21.12.2019. Copy of the letter dated 21.12.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3.**

8. That it is further submitted that the work for Piped Water Supply (PWS) scheme in Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat has already started and the Piped Water Supply will be ensured by June, 2020. Copy of the letter dated 30.01.2020 issued by Executive Engineer, Construction Division-II, U.P. Jal Nigam, Kanpur Dehat is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-4**.

9. That in compliance to the directions regarding health survey in affected area, the Expert Committee constituted by Hon'ble Tribunal has submitted its preliminary assessment report of the site visit along with the methodology for Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures. As per report, health camps at Rakhi Mandi dated 24 November, 2019 and at village Khan Chandpur dated 28 Nov 2019 were organized. That it was

found that majority of the health issues identified were related to skin, gastrointestinal tract, and respiratory system followed by some cases of anemia and musculoskeletal problems. At Rakhi Mandi, three water samples were analyzed by the committee and none of the water samples were found to be having elevated chromium levels. The Committee has proposed to conduct house to house survey, blood test of suspected cases and monthly follow up. Final report of the Committee is awaited.

10. That it is submitted that UP Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries has been issued. That undersigned has also directed that the Environmental Compensation imposed against 06 defaulter industries should be recovered at the earliest and deposited into dedicated Escrow account.

11. That the industries responsible for illegal dumping of chromium waste filed Original Application Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 before Hon'ble Tribunal for getting relief in the matter of imposition of environmental compensation against them by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That this Hon'ble Tribunal has disposed off all the connected cases vide its order dated 28.01.2020 with the following direction:-

"Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law".

That it is submitted that prior to imposition of environmental compensation upon the industries in question, the Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued the Show Cause Notices to these industries dated 24.10.2019 whereby time of 15 days was allowed to said industries for submitting their reply but none of the said industries submitted their reply. Therefore, the environmental compensation has been imposed on 19.11.2019 against the industries in question. Thus by mis-representing the facts, the industries has obtained above order and steps are being taken by U.P. Pollution Control Board for modification of order dated 28.01.2020.

12. That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW
DATED: 03.02.2020

(Rajendra Kumar Tiwari)
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

Annexure No.-1

पत्रांक 1742/CPCB../ एन एस कैम्प/2018
दिनाक......04/09/18.....

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

F. No: B-29016/59(1)/WM-I/NCEF(4)/2018/ 10339

August 31, 2018

Sub: Detailed Project Report (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) – regarding

Sir,

This has reference to the project "Preparation of DPR and providing consultancy services for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP" under National Clean Energy Fund (NCEF). It is to inform that DPR for remediation of Rania contaminated area has been accepted by Project Steering Committee in its 9th meeting was held on 07/06/2018 at CPCB, Delhi.

In view of above, the aforesaid DPR is enclosed herewith at an estimated remediation cost of Rs. 136 crore + Operating cost for groundwater remediation of Rs. 2.5 crore per month. This DPR also contains interim remedial options for removal and transfer of waste and contaminated soil into secured cells at a cost of Rs. 23.44 crore.

Yours faithfully,

(B. Vinod Babu)
Additional Director & Nodal Officer,
Waste Management Division

Encl.: As above

To,

1. The Principal Secretary : For kind information, please
   Environment Department, Govt. of Uttar Pradesh,
   601, Bapu Bhawan, Secretariat, Vidhan Sabha Marg,
   Lucknow – 226001, UP

   Ref: Your letter No. 4128/55-Env/11-185(Env)/11 dated 07/02/2012 (copy enclosed for reference)

2. The Director : For kind information, please
   Hazardous Substance Management Division,
   Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
   Indira Paryavarna Bhawan, Jor Bagh,
   New Delhi - 110003

3. The Member Secretary : For kind information, please
   Uttar Pradesh Pollution Control Board,
   Building. No. TC-12V, Vibhuti Khand,
   Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

CEO (C-2)
04/09/18

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
दूरभाष/Tel : 43102030, 22305792, वेबसाईट/Website : www.cpcb.nic.in

Scanned with

Annexure No.-2

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur UP with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, UP में पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 29.11.2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की उपस्थित की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–985/2019 एवं 986/2019 आर0ई0 पॉल्यूशन एट रनियां कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर नगर, यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न विभागों के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्द्रपुर रनियाँ कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन हेतु एक समेकित डी0पी0आर0 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा काफी समय पूर्व तैयार करायी गयी है तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 24.07.2019 को हैजार्डस वेस्ट डम्प के सुरक्षित निस्तारण हेतु अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में In Situ साइट पर एस0एल0एफ0 निर्मित कर भण्डारित किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू0 23.44 करोड़ के बजट की व्यवस्था अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किये जाने तथा कार्यदायी संस्था के रूप में सी0पी0सी0बी0, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग के साथ कार्य किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में हैजार्डस वेस्ट डम्प के सुरक्षित निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने तथा दिनांक 22.08.2019 के मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार 03 माह में कोमियम वेस्ट सुरक्षित तकनीक के साथ निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा रू0 10 लाख प्रतिमाह की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय होगी। उक्त के अतिरिक्त खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात के प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बिन्दुओं के अध्ययन हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें एस0एन0 मेडिकल कालेज, कानपुर, पी0जी0आई0, लखनऊ, आर0एम0एल0 लखनऊ एवं सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य हों, का गठन कर 03 माह में अध्ययन कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर नगर के प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वॉटर सप्लाई पद्धति से क्रमशः दिनांक 01.03.2020 एवं 15.01.2020 तक पीने एवं अन्य प्रयोजनों हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जिम्मेदार 06 उद्योगों के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रूपये 280.01 करोड़ धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने तक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त धनराशि राज्य सरकार को Escrow Account में जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिससे आवश्यकतानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य के कार्यों में धनराशि का उपयोग किया जायेगा। Escrow Account का संचालन संबंधित

जिलाधिकारी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अनुसार किया जायेगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Project steering Committee की नवीं बैठक दिनांक 07.06.2018 में स्वीकृत डी0पी0आर0, जिसके अनुसार कैपेक्स रूपये 136 करोड़ + ओपेक्स भूगर्भीय जल रेमिडियेशन हेतु रूपये 2.5 करोड़ प्रति माह आंकलित किया गया है। उक्त डी0पी0आर0 में अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में उसी स्थल पर एस0एल0एफ0 का निर्माण तथा एकत्रित वेस्ट एवं कन्टीमेंनेटेड स्वॉय को निर्मित एस0एल0एफ0 में डाला जाना एवं अंत में उसकी कैपिंग किया जाना भी सम्मिलित है, जिसकी लागत 23.44 करोड़ आंकलित की गई है। तदोपरान्त आवश्यकता होने पर भूगर्भीय जल की गुणवत्ता के अनुसार, यदि भूगर्भीय जल रेमिडियेशन कार्य अग्रेतर 10 वर्षों तक जारी रहता है, तो इसकी लागत लगभग रूपये 500 करोड़ आंकलित की गई है।

राखी मण्डी, कानपुर नगर में वर्तमान में क्रोमियम वेस्ट का डम्प भण्डारित नहीं है, जिसकी सूचना मा0 एन0जी0टी0 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु इस क्षेत्र में भूगर्भीय जल की गुणवत्ता प्रदूषित होने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र को Probable Contaminated Site के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसकी डी0पी0आर0 तैयार की जानी है।

दिनांक 07.11.2019 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के अधिकारियों के साथ यू0पी0सी0डा0 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रनियां कानपुर देहात के प्रभावित साईट के रेमिडिएशन हेतु तैयार की गयी डी0पी0आर0 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु बैठक में भाग लिया गया। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेमीडिएशन हेतु किये जाने वाले अन्तरिम एवं पूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं यह आश्वासन दिया गया कि यू0पी0सी0डा0 को कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सलाहकार को सम्बद्ध करने एवं उसकी सहायता से टेण्डरिंग अनुश्रवण एवं रेमिडिएशन के कार्यों के सुपरविजन के कार्यों में मदद करने, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सलाहकार के चयन एवं उसको सम्बद्ध करने हेतु आवश्यक टी0ओ0आर0 बनाने में आवश्यक सलाह दी जायेगी।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुपालन में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की कार्यवाही कर हेल्थ सर्वे रिपोर्ट तीन माह में जमा करने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्ययोजना तैयार की जायगी, जिसमें दिये गये सुझावों को अगले चरण में बनाई गयी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये।

प्रमुख सचिव, अवंस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य सरकार के अंश की धनराशि उपलब्ध कराने का पत्र भेजा गया था तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन के संबंध में जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्ययोजना तैयार की जानी है । संबंधित डम्पिंग क्षेत्र यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उक्त कार्ययोजना के टेण्डरिंग आदि कार्य में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट प्रदान करने हेतु विभागीय अधिवक्ताओं से

विचार–विमर्श के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर देहात के प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वॉटर सप्लाई पद्धति से जल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, जिसके अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा 01.03.2020 तक परियोजना क्रियान्वित कर दी जायेगी। इस हेतु बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जल निगम द्वारा उ0प्र0 शासन को भेज दिया गया है। वर्तमान में टैंकर द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है तथा इसी प्रकार राखी मण्डी क्षेत्र में वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पाईप लाइन द्वारा एवं शेष क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु पाइप्ड वॉटर सप्लाई के लिये बजट का प्राविधान कर दिया गया है।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात के संबंधित स्थल के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त हेतु लगभग 3.75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से कुछ भाग ग्राम समाज का एवं कुछ भाग निजी भू–स्वामियों का है, जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही संबंधी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

1. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 15.11.2019 को पारित आदेश को ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 जल निगम, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागवार कार्ययोजना तैयार की जाये जिसमे प्रत्येक कार्य उसकी टाईमलाईन, माइल स्टोन आदि का उल्लेख हो एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारी द्वारा सप्ताहवार प्रगति का अनुश्रवण किया जायें तथा प्रत्येक माह प्रगति आख्या पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/कानपुर नगर)

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक B-29016/59/(1)/WM-I/NCEF(4)/2018/10339 दिनांक 31.08.2018 द्वारा Project steering Committee की नवीं बैठक दिनांक 07.06.2018 में स्वीकृत डी0पी0आर0 जिसके अनुसार कैपेक्स रूपये 136 करोड़ + ओपेक्स भूगर्भीय जल रेमिडियेशन हेतु रूपये 2.5 करोड़ प्रति माह आंकलित किया गया है, जो कि 05 वर्ष तक किया जाना है। भूगर्भ जल के रेमिडियेशन को आवश्यकतानुसार आगामी वर्षो में भी किया जायेगा। उक्त डी0पी0आर0 में अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में उसी स्थल पर एस0एल0एफ0 का निर्माण तथा एकत्रित वेस्ट एवं कन्टीमेंनेटेड स्वॉयल को निर्मित एस0एल0एफ0 में डाला जाना एवं अंत में उसकी कैपिंग किया जाना भी सम्मिलित है, जिसकी लागत रूपये 23.44 करोड़ आंकलित की गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित एवं प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 को पर्यावरण विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विर्मश कर डी0पी0आर0 कार्यों हेतु धनराशि की

बजट से व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर की जायेगी।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण/वित्त विभाग)

3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भूगर्भीय जल के रेमीडिएशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 के आधार पर प्रश्नगत परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण एवं प्रदूषित भू–गर्भीय जल के रेमीडिएशन कार्यों हेतु स्पष्ट टाइमलाईन सहित एक कार्ययोजना का आलेख तैयार किया जाये। इस कार्ययोजना के संबंध में तथा प्रस्तावित टाईमलाइन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संबंधित विभागों का अभिमत भी प्राप्त किया जाये। उक्त कार्ययोजना में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति हेतु पाइप्ड वाटर स्कीम की स्थापना, टैकरों के द्वारा पेय जल की आपूर्ति, प्रदूषित जल देने वाले हैण्डपम्पों को निष्प्रयोज्य किये जाने के बिन्दु भी सम्मिलित हों। तैयार की गई कार्ययोजना के आलेख पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित कराने की कार्यवाही शीघ्रता से कराई जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास/ग्राम्य विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुसार एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाये तथा एक्सपर्ट कमेटी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित बिन्दुओं पर अध्ययन रिपोर्ट एवं प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को एक माह में उपलब्ध कराई जाये, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों की बीमारियों एवं उनके उचित उपचार का विवरण एवं बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायों का विवरण भी सम्मिलित हो।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

5. जिलाधिकारी, कानपुर देहात मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार Escrow Account तत्काल खुलवायें तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार Escrow Account में हस्तान्तरित की जाये। Escrow Account का संचालन मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/वित्त विभाग/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

6. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तकनीकी पर्यवेक्षण में किया जायेगा। राज्य स्तर पर तकनीकी सलाह हेतु निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाये, जिसके द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसलटेंट (पी0एम0सी0) का चयन तथा पी0एम0सी0 के माध्यम से टेक्नीकल बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराने तथा क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण आदि सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

   1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी। (अध्यक्ष)

2. महाप्रबंधक (अभियंत्रण), उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। (सदस्य संयोजक)
3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)
4. लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी। (सदस्य)
5. सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी। (सदस्य)
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7. जिला स्तर पर कार्ययोजना के अनुसार कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित करते हुए "अनुश्रवण समिति" का गठन किया जाये। अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रगति आख्या पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाये।
   1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात। (अध्यक्ष)
   2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर। (सदस्य संयोजक)
   3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)
   4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात। (सदस्य)
   5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात। (सदस्य)
   6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कानपुर देहात। (सदस्य)
   7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात। (सदस्य)
   8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर देहात। (सदस्य)

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

8. जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 15.11.2019 को दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर सिस्टम के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु बनाई गयी कार्ययोजना, टाइमलाईन, माइलस्टोन के अनुसार प्रगति आख्या एवं वर्तमान में जल आपूर्ति हेतु तत्कालिक व्यवस्था जिसमें टैकरों की संख्या, प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम को उपलब्ध कराई गयी पेय जल की मात्रा का विवरण तैयार किया जाये तथा साप्ताहिक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

9. खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात में स्थापित 06 इकाईयां, जिनके संचालन के समय जनित हैजार्ड्स वेस्ट के अवैध रूप से डम्प होने के कारण संदर्भित क्षेत्र का भूगर्भीय जल प्रदूषित हुआ है, के सम्बन्ध में दोषी इकाईयों को संचालन की अनुमति देने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी के साथ–साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी उत्तरदायी है। अन्य विभागों के अधिकारियों यथा जिला उद्योग केन्द्र, निदेशक, कारखाना एवं

अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की उत्तरदायिता की जांच मण्डलायुक्त कानपरु मण्डल द्वारा एक माह में पूर्ण कर आख्या प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर)

10. सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की ई–मेल आईडी psforest2015@gmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई–मेल आईडी ngtcell@uppcb.com पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रेषित की जायें।
11. बैठक में लिये गये निर्णयों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T.-659/81–7–19–44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2019

संख्या–N.G.T.-659 /81–7–19–44(रिट)/2016 टी0सी0, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सिंचाई/लोक निर्माण/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/राजस्व/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सी0डा0, लखनपुर, कानपुर।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डंल, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

Annexure No.-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी
कानपुर देहात

सेवा में,

अनु सचिव
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांक 1623/A-54/19 दिनांक 21/12/19

विषयः– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खानचन्दपुर, रनियां, कानपुर देहात के भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट को हटाने एवं भूगर्भीय जल के रेमिडियेशन के संबंध में बनाये गये ड्राफ्ट एक्शन प्लान पर अभिमत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– एन.जी.टी.–649/81–7–2019–43(पर्या)/2014 टी0सी0–3 दिनांक 09 दिसम्बर 2019 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। उक्त पत्र के द्वारा प्राप्त एक्शन प्लान के जिला प्रशासन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नवत् अभिमत हैः–

[A] **वेस्ट डम्प साइट के भूमि अधिग्रहण के संबंधः–** एक्शन प्लान के अनुसार वेस्ट डम्पसाइट भूमि अधिग्रहण हेतु 40 दिन प्रस्तावित किया गया है, उक्त भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 60 दिन का समय नियत किया जाना उचित होगा।

[E] **प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के संबंध मेंः–**अवगत कराना है कि इस कार्यालय के दिनांक 04.10. 2019 के आदेशानुसार ग्राम–खानचन्दपुर व उसके मजरे यादव टोला, पाल टोला व परसद्दीपुर तहसील–अकबरपुर जनपद–कानपुर देहात में नगर पंचायत के 5000 ली0 क्षमता के 3 पेयजल टैंकरों द्वारा सुबह एवं 2 टैंकरों द्वारा शाम को प्रतिदिन कुल 25000 ली0 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। स्थायी व्यवस्था (पाइप्ड वॉटर सप्लाई योजना) तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती रहेगी।

[G] **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली किये जाने के संबंध मेंः–** अवैध भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जिम्मेदार 06 उद्योगों के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 280.01 करोड़ धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भू–राजस्व की भांति वसूलने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एक्शन प्लान के तकनीकी बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा। जिला प्रशासन से संबंधित बिन्दुओं पर अभिमत/आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

पृ0सं0 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

Annexure No.-4

मो0 नं0 : 9473942736

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड

उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर देहात
E-Mail : ee_cd_kanpurdehat@yahoo.in

पत्रांक 99 /W-5T /03 दिनांक 30-01-20

ओ०ए० नं० 985/2019 एवं 986/2019 पर मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में खानचन्दपुर कानपुर देहात की पेयजल स्थिति के सम्बन्ध में आख्या

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवनखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम खानचन्दपुर (क्रोमियम प्रभावित) में पाइप पेयजल योजना अनुमानित लागत रू० 333.38 लाख, जो कि दिनांक 11.11.2019 को मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–5 को प्रेषित किया गया था, जिसका शासन स्तर पर दिनांक 02.12.2019 को आहूत समीक्षा में यह तय किया गया कि नलकूप स्थल पर रजिस्टिविटी सर्वे करा लिया जाये एवं वास्तविक स्थिति के आधार पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। तद्नुसार पूर्व प्रेषित प्राक्कलन में निम्नवत् प्राविधान किये गये :–

रजिस्टिविटी टेस्ट के आधार पर जोन–2 के नलकूप की बोरिंग की गहराई कम की गई एवं पम्प हाउस के चारो तरफ बाउण्डीवॉल निर्माण कार्यो को हटा दिया गया इत्यादि संशोधित करते हुए प्राक्कलन अनुमानित लागत रू० 298.46 लाख प्रेषित किया गया।

जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या 18/2019/3754/76–1–19–106बजट/2019 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि (रू० 149.23 लाख) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हुई है। स्वीकृति लागत रू० 298.46 लाख के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार है :–

a) 02 नग नलकूप
b) 02 नग पम्पहाउस
c) राइजिंग मेन एण्ड बाइपास 2.05 कि०मी०
d) अवर जलाशय 01 नग 50 के.एल.
e) वितरण प्रणाली 14.83 कि.मी.
f) स्टाफ क्वार्टर 1 नग इत्यादि कार्य सम्मिलित है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार योजना के अन्तर्गत नलकूप बोरिंग का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के आधार पर शीघ्र ही सिविल कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेगे। योजनान्तर्गत माह जून, 2020 तक डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्य माह अगस्त, 2020 तक पूर्ण कर दिये जायेगे।

30.01.20
(एम0 के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

C.S.
20.1.20
इं0 जी0 पी0 शुक्ला
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)